न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—172/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/172)

1. शेरसिंह पुत्र श्योजी
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्योजी
3. सोनी पत्नि श्योजी
4. सीघा पुत्री श्योकरण

समस्त जाति रावत निवासी ग्राम बीरा, तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. लाली पत्नि शंकरनाथ
2. चूका पुत्री शंकरनाथ
3. मंजू पुत्री शंकरनाथ
4. रमती पुत्री शंकरनाथ
5. बदरीनाथ पुत्र धन्नानाथ
6. चैनानाथ पुत्र धूकलनाथ
7. बिरदीनाथ पुत्र रूघानाथ
8. तेजानाथ पुत्र रूघानाथ
9. मिश्रीनाथ पुत्र रूघानाथ
10. समुद्रनाथ पुत्र रूघानाथ
11. नेमीनाथ पुत्र रूघानाथ
12. विश्राम पुत्र छीतरनाथ

समस्त जाति जोगी निवासी ग्राम बीर तहसील व जिला अजमेर।

13. बैंक ऑफ बडौदा शाखा ग्राम बीर तहसील व जिला अजमेर।
14. राजस्थान सरकार जरिए कार्यालय तहसीलदार, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर विरूद्ध आदेश दिनांक 16.05.2022 राजस्व वाद संख्या 02/2022.

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्रसिंह चौहान, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री लक्ष्मणनाथ योगी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 12
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 14
4. रेस्पोडेंट संख्या 13 अनुपस्थित

18.1.2024
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः— 18.01.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2022 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रेस्पोडेंटस अपीलांटस की सह खातेदारी/सह काश्तकारी की आराजीयात खाता संसख्या नया 1021 पुराना 1021 के खसरा नम्बर 330 रकबा 0.13 है0, किस्म चाही 2 एवं खसरा नम्बर 327 रकबा 0.12 है0, किस्म चाही 2 ग्राम बीर पटवार हल्का बीर, पटवार हल्का बीर भू–अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र बीर तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है। अपीलांटस को अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु अवस्थित ग्रेवल सडक जो ग्राम बीर से मेझवला की ओर जाती है कि जिसके आराजी खसरा नम्बर 305 गैर मुनकिन रास्ता है से लगते हुए रेस्पोडेंटस के खेत खसरा नम्बर 333, 334 एवं 335 के दक्षिण–पूर्वी मेड पर बना हुआ है कदमि रास्ता है जिसका उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। आराजी खसरा नम्बर 305 गैर मुनकिन रास्ता से लगते हुए रेस्पोडेंटस के खेत खसरा नम्बर 333, 334 एवं 335 के दक्षिण–पूर्वी मेड पर कदीमी रास्ता अवस्थित है जो पश्चिम से पूर्व की ओर से होते हुए अपीलांटस के खेत खसरा नम्बर 330, 327 तक पहुंचता है जिसका उपयोग–उपभोग अपीलांटस करते आ रहे है तथा उक्त कदीमी रास्ते से कृषि यंत्र भी लाते ले जाते रहे है। अपीलांटस को अपनी खातेदारी पर जाने हेतुं उक्त कदीमी रास्तें के अलावा अपीलांटस के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है जिससे अपीलांटस को उक्त रास्ता प्रदान किया जाना न्यायोचित है तथा रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंटस को नोटिस जारी किया गया। जिस पर रेस्पोडेंटस संख्या 1 लगायत 12 की ओर से अभिभाषक नियुक्त कर जवाब प्रस्तुत किया गया संबंधित तहसीलदार, अजमेर द्वारा दिनांक 16.3.2022 को अपनी ओर से जवाब एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा उक्त पत्रावली को कोर्ट कैम्प बीर में नियत कर दिनांक 16.5.2022 को अपीलांटस के उक्त प्रार्थना पत्र को अविधिक रूप से निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2022 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 13 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा अपनी खातेदारी/काश्तकारी की आराजी खसरा नम्बर 330 व 327 पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात के खसरा नम्बर 333, 334 व 335 में से रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस बाबत संबंधित तहसीलदार, अजमेर द्वारा दिनांक 16.3.2022 की मौका रिपोर्ट भिजवाई गई थी जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकन किया गया था कि

18.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा आवागमन हेतु अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस के खसरा नम्बर 333, 334 व 335 में से रास्ता चाहा गया है जो कि अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम दर्ज खसरा नम्बर 305 रकबा 0.64 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ते तक रास्ता चाहा गया है। इस प्रकार से अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो कि स्वीकार किए जाने योग्य था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस संख्या 1 लगायत 12 के कथनों पर विश्वास करते हुए अपीलांटस के प्रार्थना पत्र को अपने आदेश दिनांक 16.5.2022 द्वारा खारिज कर दिया जिससे उनका आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात खसरा नम्बर 330 व 327 में आने जाने हेतु रेस्पोडेंटस संख्या 1 लगायत 12 के खसरा नम्बर 333, 334 व 335 में से मुख्य सडक से आने जाने हेतु रास्ते की मांग की गई थी, तथा संबंधित तहसीलदार, अजमेर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बाबत अपना बिंदुवार जवाब मय नजरी नक्शा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा संबंधित तहसीलदार, अजमेर द्वारा संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की उभय पक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत की गई थी जिसमें संबंधित तहसीलदार, अजमेर द्वारा बिंदु संख्या 2 में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि मौके पर अपीलांटस के पास आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है तथा उक्त सींव से ही प्रार्थीगण/अपीलांटस आते जाते हैं तथा इसी प्रकार से अपनी मौका रिपोर्ट के बिंदु संख्या 1 में संबंधित तहसीलदार, अजमेर द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि अपीलांटस के पास कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है तथा बीर से मझेवला खसरा नम्बर 305 रकबा 0.64 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता अवस्थित है तथा उक्त रास्ते के नजदीक खसरा नम्बर 333, 334 व 335 खातेदार चूका पुत्री शंकर जाति जोगी की स्थित है। अपीलांटस द्वारा रेस्पोडेंट सख्या 1 लगायत 12 की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात में से अपने खेतों पर आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया था तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 12 द्वारा अपने जवाब में जिस रास्ते का उल्लेख किया गया है वह रास्ता आगे बंद है तथा उक्त रास्ते से आना जाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। उक्त तथ्यों के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के उक्त प्रार्थना पत्र को अपने आदेश दिनांक 16.5.2022 से खारिज किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया। अपीलांटस द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 12 की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात में से रास्त चाहा गया था जो कि प्रथम दृष्टया ही राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से स्पष्ट था कि उक्त चाहा गया मुख्य मार्ग खसरा नम्बर 305 से लगता हुआ है तथा उक्त रास्ता ग्राम बीर में जाता है तथा उक्त रास्ते से ही अपीलांटस एवं अन्य रेस्पोडेंटस तथा समस्त खातेदार काश्तकार अपने खेतों पर आते जाते रहे है। उक्त समस्त तथ्यों के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस के प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने के आदेश पारित कर दिया। अपीलांटस द्वारा अपनी खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात में रेस्पोडेंटस संख्या 1 लगायत 12 की आराजीयात में आने जाने हेतु रास्ते की दादरसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चाही गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में जिस रास्ते का उल्लेख किया गया है वहां वास्तव में मौके पर ऐसा कोई रास्ता अवस्थित नहीं तथा वहां पहाड अवस्थित है तथा मौके पर

18.12.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

रास्ता अवस्थित नहीं है जिससे कि उसका प्रयोग किया जाना संभव नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात खसरा नम्बर 327 व 330 में आने जाने हेतु रास्ता अधीनस्थ न्यायालय से चाहा गया था तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 12 ने अपीलांटस के उक्त सदियों से चले आ रहे कदीमी रास्ते को वर्तमान में कांटों की तारबंदी कर अवरूद्ध कर दिया तथा उक्त समस्त तथ्यों के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के प्रार्थना पत्र को दिनांक 16.5.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान कर दिया। अपीलांटस द्वारा अपनी खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात खसरा नम्बर 327 व 330 व अन्य आराजीयात में आने जाने हेतु रेस्पोडेंटस संख्या 1 लगायत 12 की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात खसरा नम्बर 333, 334 व 335 में वर्षों से अवस्थित कदीमी रास्ते की मांग की गई थी तथा अपीलांटस के पास उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा उक्त रास्ता निकटतम रास्ता है जो कि ग्राम बीर में जाता है जो कि खसरा नम्बर 305 अजमेर विकास प्राधिकारण, अजमेर के नाम दर्ज है। इस प्रकार से स्पष्ट था कि उक्त रास्ता निकटतम रास्ता है तथा अपीलांटस अपनी उक्त खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात तथा अन्य आराजीयात पर आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने के कारण अपीलांटस को उक्त रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है एवं उक्त रास्ते के बाबत समस्त साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के प्रार्थना पत्र को खारिज कर विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि अपीलांटस के पास अपनी खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 196 किस्म गैर मुमकिन रास्ता रकबा 0.70 है0 अवस्थित है जबकि अपीलांटस के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है एवं अपीलांटस को रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। उक्त सभी तथ्यों के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.5.2022 पारित किया गया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2022 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 305 का भी रास्ते के रूप में उनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 330 एवं 327 पर आने जाने के लिए प्रयोग नहीं किया गया ना ही इस रास्ते से प्रार्थीगण आते जाते है ना ही कृषि यंत्र लाते ले जाते हैं। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 330 एवं 327 पर आने जाने के लिए खसरा नम्बर 305 गैर मुमकिन रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। ग्राम बीर से मुख्य मार्ग खसरा नम्बर 196 किस्म गैर मुमकिन रास्ता रकबा 0.70 है0 सीधा प्रार्थीगण के खेतों पर आता है इस प्रकार प्रार्थीगण खसरा नम्बर 196 से अपने सह खातेदारी के खेतों पर होते हुए खसरा नम्बर 327 एवं 330 पर से रास्ता नम्बर 1 प्रार्थीगण की सह खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 117, 195, 193, 192, 194, 323, 324, 329, 322, 321 से होते हुए खसरा नम्बर 327 एवं 330 तक इसी प्रकार रास्ता नम्बर 2 प्रार्थीगण की सह खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 263, 270, 313 एवं 320 से होते हुए खसरा नम्बर 327 एवं 330

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

तक उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 117 तथा 195 रास्ता खसरा नम्बर 196 से लगते हुए तत्पश्चात उक्त खेतों से लगते हुए खसरा नम्बर 193, 194, 192, 322, 323, 321, 324, 329 समस्त खेत प्रार्थीगण की सह खातेदारी के है जिनसे होते हुए खसरा नम्बर 327 व 330 तक पीढ़ीयों से आते जाते रहे है। जो रास्ता नम्बर 1 में अंकित किया गया है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 263 प्रार्थीगण की सह खातेदारी की भूमि है जो रास्ता खसरा नम्बर 196 से लगते हुए अवस्थित है एवं 263 से लगते हुए खसरा नम्बर 270 तत्पश्चात 313 एवं 320 अवस्थित है तथा 320 से लगता हुआ 330 अवस्थित है। इस प्रकार गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 196 से स्वयं प्रार्थीगण के सह खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 263 तथा 195 एवं 117 लगते हुए अवस्थित है, तत्पश्चात खसरा नम्बर 327 एवं 330 तक लगातार प्रार्थीगण की सह खातेदारी की भूमियां है। इस प्रकार प्रार्थीगण के पास दो से अधिक रास्ते-पूर्व से ही मौजूद है जिन्हें पीढीयों से प्रयोग करते आ रहे है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अपील को मियाद अवधि के संदर्भ में देखा गया। अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा दिनांक 16.5.2022 को अंतर्गत धारा 251 ए प्रकरण संख्या 2/2022 बउनवानी शेरसिंह वगैराह बनाम लाली व अन्य दिया गया था। वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 20.6.2022 को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है अपील अंदर मियाद है।

7. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमियों के खसरा नम्बर 327 व 330 ग्राम बीर में पहुंचने हेतु रेस्पोडेंट के खेतों से होकर आना पडता है कदीमी रास्ता है। परंतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.5.2022 की आड में अप्रार्थीगण उक्त रास्ते को कांटों की बाड लगाकर बंद करने पर आमादा है। मानसून का समय होकर फसल की निराई गुढाई तथा कृषि यंत्रों को खेतों में ले जाने पर परेशानी का सामना करना पड रहा है यदि अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया प्रकरण भी अपने पक्ष में बताया। अंत में निवेदन किया कि रास्ता अवरूद्ध नहीं करे तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति रेस्पोडेंट बनाए रखे इस बाबत उन्हें पाबंद किया जाए।

8. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई बहस में वकील अपीलांट ने बताया कि 251ए में हमारा प्रार्थना पत्र दिनांक 16.5.2022 को उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा खारिज कुर दिया गया खसरा नम्बर 330 व 327 पर हमें पहुंचना है रास्ते के रूप में दर्ज मुख्य मार्ग खसरा नम्बर 305 होकर एडीए के नाम दर्ज है जो कि ग्राम बीर से मझेवला जाता है। रेस्पोडेंट की खातेदारी के खसरा नम्बर 333, 334, 335 है इन खसरा नम्बरों से होकर मेरे द्वारा रास्ता चाहा गया। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट मेरे पक्ष में है। उक्त रिपोर्ट में सिव से आना जाना माना गया है मगर रास्ता नहीं बताया गया है। रेस्पोडेंट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया था। जिसमें इन्होंने खसरा नम्बर 196 रास्ते बाबत बताया

गया है। जिसके द्वारा हम हमारे खेतों तक पहुंचते हैं ऐसा रेस्पोडेंट ने बताया एक अन्य वैकल्पिक रास्ता भी इन्होंने हमारे लिए बताया। गैर मुमकिन रास्ता 196 से जुडा हुआ खसरा नम्बर 197 एक गैर मुमकिन पहाड है। उक्त रास्ता 196 पहाड में जाता है और हमारे लिए उपयोगी नहीं है। खसरा नम्बर 196 आगे जाकर बंद हो जाता है। अन्य वैकल्पिक रास्ता बीर डाक बंगले में जाता है। पहाड होने की वजह से उक्त रास्ता खसरा नम्बर 197 प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होता है। इस हेतु उनके द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2017 (2)पेज 980। केम्प कोर्ट बीर में इनके(रेस्पोडेंट) जवाब को माना गया। मगर तहसीलदार की रिपोर्ट नहीं मानी जाकर हमारा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। बहस के अंत में वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि प्रकरण को पुनः रिमाण्ड किया जाए सभी वैकल्पिक रास्तो बाबत परीक्षण कर रिपोर्ट बनवाई जाए। हम रेस्पोडेंट की जितनी भी भूमि जाती है उसकी दो गुना भूमि देने के लिए तैयार है।

9. वकील रेस्पोडेंट ने बहस में बताया कि इनके पास अन्य खसरा नम्बर भी है। खसरा नम्बर 305 में नरेगा से रास्ता बनाया हुआ है पहले सभी खसरा नम्बर 196 से आते जाते थे। वन विभाग वाले अभी भी 196 से आते जाते है। इन्होंने अपनी जमीन की तार बंदी की हुई है। अधीनस्थ न्यायालय मे इनके द्वारा प्राकृतिक आपदा बाबत कथन का अंकन नहीं किया गया है। मौका रिपोर्ट में एक लाईन बाद में जुडवाई गई है।(पैरा नम्बर 2) तहसीलदार की रिपोर्ट में ओवर राईटिंग की गई है। (मौके पर सिव से आना जाना है) कैम्प में यह मौजूद थे ग्रामवासियों के समक्ष पूछताछ की जाकर निर्णय किया गया था अन्य रास्ता दोगुना चौडा है। आबादी के नजदीक है। उन्होंने दो न्यायिक दृष्टांतो का उल्लेख किया है– आरआरटी 2016 पेज 649(वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने पर रास्ता नहीं दिया जाए।) 2017 आरआरटी पेज 423 वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर सुविधाजनक रास्ता होने पर निर्णय नहीं किया जाए। रास्ता यदि बंद है जो 251 के तहत तहसीलदार के समक्ष जाते हैं। इनके खेत से जुडता हुआ रास्ता है वहां से होकर जाए नया रास्ता नहीं दिया जाए। इनके खेत से हमारे खेत जुडे हुए हैं। इन्होंने गेहूं बो रखे हैं। इनका मकान बना हुआ है। मांगे गए रास्ते से भी चौडा रास्ता इन्हें उपलब्ध है। अपील में इनके द्वारा एसडीओ के निर्णय का खण्डन नहीं किया गया है। मात्र दो खसरा हेतु इनके द्वारा रास्ता चाहा गया है। अन्य को भी रास्ते की आवश्यकता होनी चाहिए थी मेरा पक्षकार विकलांग है।

10. उभयपक्ष बहस सुनी जाकर बहस बिंदुओं पर मनन किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए के पैरा 1,2,3,4,5 का अवलोकन किया गया इसके अनुसार अपीलांटगण के सहखातेदारी के खसरा नम्बर 330 व 327 ग्राम बीर तक पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 305 गैर मुमकिन रास्ते से लगते हुए रेस्पोडेंट के खसरा नम्बर 333,334,335 के दक्षिणी पूर्वी मेड पर बना हुआ कदीमी रास्ता है जिसका अपीलांट उपयोग करते आ रहे हैं। उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज किया गया है मगर उक्त कदीमी रास्ते को रेस्पोडेंट द्वारा कांटों की बाड लगाकर अवरूद्ध किया जा रहा है। अनुतोष में अपीलांट के द्वारा रेस्पोडेंट के खसरा नम्बर 333,334,335 दक्षिणी पूर्वी मेड से होते हुए पश्चित से पूर्व की ओर 30 फुट चौडा रास्ता मुर्तिब करने हेतु निवेदन किया गया।

11. रेस्पोडेंट 1 से 12 के द्वारा अपने जवाब के पैरा 3 व 4 ने यह कहा है कि अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 305 का उपयोग कभी भी रास्ते के

रूप में उनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 330 व 327 पर आने जाने के लिए प्रयोग नहीं किया गया। साथ ही अपीलांट के खसरा नम्बर 330 व 327 पर आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग रेस्पोडेंट द्वारा अपने जवाब में अंकित किया गया। रास्ता नम्बर 1 अपीलांट की सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 117, 195, 193, 192, 194, 323, 324, 329, 322, 321 से होते हुए खसरा नम्बर 327 व 330 तक। रास्ता नम्बर 2 अपीलांट की सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 263,270,313 एवं 320 से होते हुए खसरा नम्बर 327 व 330 तक यह भी बताया कि अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 117 तथा 195 रास्ते के खसरा नम्बर 196 से लगते हुए। इसके पश्चात उक्त खेतों से लगते हुए खसरा नम्बर 193,194,192,322,323,321,324,329 अपीलांटगण की सहखातेदारी के हैं जिनसे होकर वे खसरा नम्बर 327 व 330 तक पीढियों से आते जाते रहे हैं। साथ ही रास्ते के खसरा नम्बर 196 से लगता हुआ खसरा नम्बर 263 अपीलांट की सहखातेदारी का है एवं उक्त 263 खसरा नम्बर से लगते हुए अन्य खसरा नम्बर 270 फिर 313 व 320 हैं। 320 से लगता हुआ खसरा नम्बर 330 है। इस प्रकार रास्ते के खसरा नम्बर 196 से अपीलांट के सहखातेदारी के खेत खसरा नम्बर 263,195 एवं 117 लगते हुए अवस्थित है। इनके पश्चात खसरा नम्बर 327 व 330 तक अपीलांटगण के सहखातेदारी की भूमि है इस प्रकार अपीलांटगण के पास दो से अधिक रास्ते पूर्व से मौजूद है। जिन्हें वे पीढियों से प्रयोग करते आ रहे है, जो कि नक्शा ट्रेस से स्पष्ट होना बताया गया।

12. तहसीलदार अजमेर की रिपोर्ट दिनांक 16.3.2022 के अनुसार प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक बीर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते हेतु खसरा नम्बर 333, 334 व 335 के खातेदार चूका पुत्री शंकरनाथ जाति जोगी के नाम राजस्व रेकार्ड अनुसार दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बर 333, 334 व 335 से राजस्व मानचित्र अनुसार लगते हुए स्वयं की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 330 पर आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है। राजस्व मानचित्र एवं मौके अनुसार प्रत्यर्थीगण के खसरा नम्बर 333, 334 व 335 में वर्तमान में कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा स्वयं की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु प्रत्यर्थीगण के खसरा नम्बर 333, 334, व 335 में से रेकार्ड अनुसार अजमेर विकास प्राधिकारण अजमेर के नाम दर्ज खसरा नम्बर 305 रकबा 0.64 किस्म गै0 मु0 रास्ता तक रास्ता चाहा गया है।

13. उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में यह माना है कि प्रार्थीगण/अपीलांट के पास पूर्व से ही अपनी खातेदारी भूमि पर आने जोन हेतु मार्ग उपलब्ध होने से तथा प्रकरण हाजा में मांगे गए रास्ते की आत्यंन्तिक आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज योग्य होना मानकर खारिज किया गया है।

14. 251 ए आरटी एक्ट से संबंधित सरकारी नियम निम्नानुसार है– **नियम 69 में आवेदन पत्र की प्राप्ति पर उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल(साईट) का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक भू अभिलेख के पद से नीचे का नहीं होगा, निरीक्षण करवाएगा एवं प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित करेगा। उपखण्ड अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का एक अवसर प्रदान कर तथा ऐसी और अग्रिम जांच जिसे वह आवश्यक समझे करने के बाद यदि अपना इससे अपना समाधान कर लेता है कि–**

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

क. आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत(हॉलिंग) के मात्र सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है,एवं

ख. विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर किसी नए रास्ते के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध हो गया है वह आवेदन पत्र को स्वीकृत कर सकेगा। यह आवेदन पत्र आवेदन किए जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर उपखण्ड अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

15. मौका निरीक्षण रिपोर्ट गिरदावर द्वारा बनाई गई है जो नियम 69 के अनुरूप है।

16. ऊपर अंकित सरकारी नियम से स्पष्ट है कि रास्ते की परम आवश्यकता होना आवश्यक है, तथा ऐसे दिए जाने वाले रास्ता सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं हो।

17. बहस बिंदुओं पर मनन के बाद एवं तहसीलदार के रिपोर्ट के अवलोकन के बाद एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा दिए गए निर्णय के अवलोकन के बाद न्यायालय का यह मानना है कि अपीलांट के पास अपने सहखातेदारी के खसरा नम्बर 330 व 327 ग्राम बीर तक पहुंचने हेतु पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं। 251 ए ऐसी परिस्थिति में ही लागू होगा जहां व्यक्ति को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो और कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं हो। रेस्पोडेंट के जवाब में दो रास्ते खसरा नम्बर 330 व 327 तक पहुंचने हेतु बताए गए है जिसका उल्लेख उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में भी किया गया है। तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि राजस्व मानचित्र मौके अनुसार रेस्पोडेंट के खसरा नम्बर 333, 334 व 335 में वर्तमान में रास्ता मौजूद नहीं है। जो रेस्पोडेंट की बात का समर्थन करता है साथ ही नक्शा ट्रेस ग्राम बीर के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट के खसरा नम्बर 330 व 327 तक खसरा नम्बर 196 गै0मु0 रास्ते से होकर अपनी सहखातेदारी के खेतों से होते हुए पहुंच सकता है। जब अपीलांट गै0मु0 दर्ज रास्ते से होकर खसरा नम्बर 330 व 327 तक अपनी सहखातेदारी खेत्तों से होकर पहुंच सकता है, ऐसी स्थिति में उसे अन्य किसी काश्तकार के खेतों से होकर सुविधाजनक रास्ता नहीं दिया जा सकता। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआस्टी 2017 (2)पेज 980 वर्तमान प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है क्यों कि ऐसी किसी प्राकृतिक आपदा बाबत कोई घटना पूर्व में होने की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है साथ ही उक्त रास्ता खसरा नम्बर 196 का उपयोग अभी भी वन विभाग द्वारा किया जा रहा है ऐसी स्थिति में वकील अपीलांट का आक्षेप खारिज योग्य है कि खसरा नम्बर 196 गै0मु0 रास्ता प्राकृतिक आपदा से प्रभावित है। वकील रेस्पोडेंट द्वारा बताए गए दो न्यायिक दृष्टांतो, आरआरटी 2016 पेज 649(वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने पर रास्ता नहीं दिया जाए।) 2017 आरआरटी पेज 423 जो कि वर्तमान प्रकरण पर पूरी तरह से चस्पा होते है। अपीलांट के पास पूर्व से दो वैकल्पिक मार्ग मौजूद हैं और नियमों के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट को सुविधाजनक रास्ता नहीं दिया जा सकता है, अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज होने योग्य है।

18. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2022 बउनवानी शेरसिंह एवं अन्य बनाम लाली एवं अन्य प्रार्थना पत्र अंतर्गत 251 ए आरटी एक्ट 1955 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

18.1.24
(गजेन्द्र सिंह राठौड)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर।

19. निर्णय आज दिनांक 18.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

18.1.24
(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर।